न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 439–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–10–13 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 163/अपील/2009–10.

लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र जाट
निवासी ग्राम भादूगांव
तहसील व जिला हरदा .....अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....प्रत्यर्थी

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री बी.एन. त्यागी, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/9/15 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर, हरदा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भादूगांव, तहसील व जिला हरदा स्थित भूमि सर्वे कमांक 3/6 रकबा 5.00 एकड़, सर्वे कमांक 9/3 रकबा 15.00 एकड़ एवं सर्वे कमांक 94 रकबा 5.16 एकड़ कुल रकबा 26.16 एकड़ सर्वराकार कलेक्टर, हरदा एवं अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण पिता रामचंद्र एवं रामनारायण पिता पन्नालाल ग्राम भादूगांव के नाम पर दर्ज है । वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी की पैतृक संपत्ति है, पंजीकृत ट्रस्ट नहीं है,

अतः वादग्रस्त भूमि से प्रबंधक के रूप में दर्ज कलेक्टर, हरदा का नाम शासकीय अभिलेख से हटाया जाये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 2/बी–113/2009–10 दर्ज कर दिनांक 31–3–2010 को आदेश पारित कर अपीलार्थी का उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–10–13 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश यथावत रखते हुए अपील अमान्य की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि आयुक्त न्यायालय की आदेशिका दिनांक 9–6–2010 में अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16–6–2010 की तिथि नियत की गई थी । उक्त तिथि को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से रीडर द्वारा आगामी तिथि 23–10–2010 नियत की गई, और अपीलार्थी की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये । उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित किया गया था, किन्तु उक्त पीठासीन अधिकारी का प्रकरण में आदेश पारित करने से पूर्व ही स्थानांतरण हो गया था, और पश्चातवर्ती नवीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्व से ही लिखित तर्क प्रस्तुत होना मानकर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि भले ही पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में तर्क सुनकर आदेशार्थ सुरक्षित किया गया हो, तब भी पश्चातवर्ती नवीन पीठासीन अधिकारी को प्रकरण में फिर से तिथि नियत की जाकर, अपीलार्थी को सूचना दी जाकर पुनः सुनवाई किये जाने के उपरांत ही आदेश पारित किया जाना चाहिए था, किन्तु पश्चातवर्ती पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं करने में भूल की गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह मान भी लिया जाये कि आयुक्त ने पूर्व से ही लिखित तर्क प्रस्तुत होना मानकर आदेश पारित किया है, तब ऐसी स्थिति में उन्हें, लिखित तर्कों पर विचार कर निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं करने में गंभीर भूल की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवेदन कोई साक्ष्य नहीं है, जब तक कि

उसे कथन द्वारा सिद्ध न किया जाये । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि पटवारी द्वारा भी अपने प्रतिवेदन मंदिर प्रायवेट एवं भूमि पैतृक होना प्रतिवेदित किया है, इससे स्पष्ट है कि मंदिर ट्रस्ट का नहीं होकर प्रायवेट है । इस आधार पर कहा गया कि जब मंदिर शासकीय नहीं है और न ही ट्रस्ट पंजीकृत है, तब कलेक्टर का नाम प्रबंधक के रूप में कैसे हो सकता है । माननीय उच्च न्यायालय के अभिनिर्धारणों में ऐसे मंदिर की भूमि पर राज्य शासन का ज्ञापन लागू नहीं होता है । उनके द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि मौखिक तर्क सुने जाते तब अपीलार्थी को पुनः सुनना आवश्यक था, किन्तु अपीलार्थी की ओर से प्रकरण में पूर्व में ही लिखित तर्क प्रस्तुत किए जा चुके थे, इसलिए उन्हें पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं होने से आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर अपील निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन मंदिर शासकीय भूमि पर निर्मित है और शासकीय भूमि पर निर्मित मंदिर पर पुजारी अथवा सर्वराकार को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं । यही निष्कर्ष कलेक्टर द्वारा निकाला जाकर प्रश्नाधीन भूमि से प्रबंधक कलेक्टर का नाम विलोपित करने संबंधी आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है और इसी आशय का निष्कर्ष आयुक्त द्वारा निकाला जाकर अपील निरस्त करने में विधि के प्रावधानों के अनुकूल कार्यवाही की गई है। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं कि प्रश्नाधीन मंदिर अपीलार्थी का पैतृक मंदिर है, और ट्रस्ट अपंजीकृत है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि प्रश्नाधीन मंदिर शासकीय भूमि पर निर्मित है, ट्रस्ट के अपंजीकृत होने से सार्वजनिक मंदिर होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है । अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क भी अनुचित होने से अमान्य किये जाने योग्य है कि पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये

थे, परन्तु उनका स्थानांतरण हो जाने के कारण वे आदेश पारित नहीं कर सके, अतः पश्चातवर्ती पीठासीन अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है कि प्रकरण में पूर्व से लिखित तर्क प्रस्तुत हैं, जबकि पश्चातवर्ती पीठासीन अधिकारी को अपीलार्थी को सुनकर ही आदेश पारित करना चाहिए था, क्योंकि जब अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में पूर्व में ही लिखित तर्क प्रस्तुत किये जा चुके थे, तब दोबारा उनको सुनने का कोई औचित्य वैधानिक दृष्टि से नहीं रह गया था । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 31–10–13 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर